आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(17)/लेखा/आकाशि/वि.घु.अर्द्ध.घु./का.बा.भी.मे.छा.स्कूटी/2021–22/556 दिनांक–19.07.2022

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य
विश्वविद्यालय/राजकीय/निजी
महाविद्यालय, राजस्थान

विषयः– कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु वर्ग की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना वर्ष 2021–22 हेतु ऑनलाइन आवेदन के सबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु वर्ग की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना हेतु पोर्टल दिनांक 20.07.2022 से 31.08.2022 तक ऑनलाईन आवेदन खोला गया है।

उक्त योजना में व्यक्तिशः रूचि लेकर छात्राओं से दूरभाष पर संपर्क कर, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस नोट जारी कर तथा महाविद्यालय, नगर पालिका/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर संपूर्ण सूचना चस्पा कराकर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए उक्त योजनान्तर्गत छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाया जाना सुनिश्चित करावें जिससे कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का छात्राओं को अधिकतम लाभ मिल सकें।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक–एफ 23(17)/लेखा/आकाशि/वि.घु.अर्द्ध.घु./का.बा.भी.मे.छा.स्कूटी/2021–22/557-558 दिनांक–19.07.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :–

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार